

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 997 / 55 / आउशि / शाखा-5'अ' / 2017, भोपाल, दिनांक:- 03 / 08 / 2017

प्रति,

1. कुलसचिव, समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय (07) म.प्र.।
2. प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय / अशासकीय महाविद्यालय म.प्र.।


विषय:-केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा द्वितीय चरण में तैयार किये गये 35 विषयों के स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों को सत्र 2017-18 से लागू किया जाना।

संदर्भ:-कुलाधिपति महोदय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-8-2/यू.ए-3/2014/909 दिनांक 18.07.2017 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में केन्द्रीय अध्ययन मण्डल द्वारा द्वितीय चरण में तैयार किये गये 35 विषयों के वार्षिक पाठ्यक्रम को 2017-18 से प्रारंभ होने वाले अकादमिक सत्र में लागू किया जा रहा है।

कृपया उक्त पाठ्यक्रम विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कर अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करते हुए विद्यार्थियों को सूचित करना भी सुनिश्चित करें।

(वि.क.अ. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


  
(डॉ. ए.एस.यादव)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रं. 998 / 55 / आउशि / शाखा-5'अ' / 2017, भोपाल, दिनांक:- 03 / 08 / 2017

प्रतिलिपि

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा / राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, मंत्रालय, भोपाल।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी विश्वविद्यालय समन्वय प्रकोष्ठ उ.शि.वि. मंत्रालय, भोपाल।
5. कुलपतिगण, समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा भोपाल / इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर / सागर / रीवा / उज्जैन / होशंगाबाद।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रभारी आई.टी. सेल की ओर इस निर्देश के साथ कि इसे वेबसाईट पर अपलोड करें।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश